(b) Distance, method-covering all States	5
3. *Performance of which:*	7.5
(a) Tax effort	2.5
(b) Fiscal Management	2.0
(c) *National Objectives*	3.0
(1) Population control	1.0
(2) Elimination of Female illiteracy	1.0
(3) On-time completion of externally aided projects	0.5
(4) Success in land reforms	0.5
4. Special Problems	7.5

सीमा क्षत्र विकास कार्यक्रम

4111. **श्री अनन्तराय देवशंकर दये**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य तथा स्वरूप क्या है;

(ख) नौवी पंचवर्षीय योजना में सीमा कार्यक्रमों को जिन विशिष्ट स्थानों में कार्यान्वित किया जाना है, उनका गुजरात समेत राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य तथा योजना और कार्यक्रम कार्वान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती, अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह कार्यक्रम उन राज्यों तक विस्तारित है जिनकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा लगती है अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, माणिपुर, मेघालय, बंगाल। बहरहाल, गुजरात सहित इन राज्यों में सीमा क्षेत्रों में विकास के लिए ध्यान केन्द्रित करने हेतु इस कार्यक्रम के तहत स्कीमों को केवल अंवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगने वाले ब्लाकों में शुरू किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य में शुरू की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के विषय में निर्णय राज्य स्तरीय छानबीन समितियों द्वारा किये जाने हैं। उत्तर-पश्चिमी राज्यों अर्धात राजस्थान और गुजरात में शुरू की गई स्कीमें संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य. जलापूर्ति, सुरक्षा आदि से सम्बद्ध है। केन्द्रीय बजट 1998-99 में किए गए प्रावधान के आधार पर चालू वर्ष अर्थत 1998-99 में उत्तर-पश्चिमी राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गये आबंटन इस प्रकार हैः-

राज्य	(रु. करोड़) आवंटन
राजस्थान	26.52
गुजरात	8.88

योजना आयोग के पास संगृहीत राशि

4112. **श्री अखिलेश दास**:क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक योजना आयोग के पास संगृहीत राशि कितनी थी;

(ख) क्या योजना आयोग को नौंवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 75,000 करोड़ कुरए ती तमी ता सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उन संसाधनों के बारे में, जो कि उसके पास उपलब्ध हैं और जिनकी कमी पड़ जाने की संभावना है, को ई मुल्यांकन किया है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री योजना और कार्यक्रन कार्यान्ववन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) योजना के लिए परिकल्पित समस्त वित्तीय संसाधन विभिन्न क्षत्रकों और योजना में शमिल कार्यक्रमों के लिए निर्धारित भीतिक लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। योजना कार्यक्रमों के लिए बजट-आबंटन, उपलब्ध संसाधनों और क्षेत्रकों की प्राथमिकताओं के आधार पर, संबंधित वर्षों के बजटों में प्रत्येक वार्षिक योजना के लिए किए जाते हैं। किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि बाद में व्यपगत हो जाती है और उसलिए वित्तीय संसाधनों के संगृहीत होने का प्रश्न नहीं उठता। नौंवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में, नौंवीं योजना के लिए वित्तीय संसादनों